रजिस्टर्ड नं0 L-[illegible]-13/SML-2005.

हिमाचल प्रदेश

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार, 18 जुलाई, 2005/27 आषाढ़, 1927

हिमाचल प्रदेश सरकार

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग

अधिसूचना

शिमला-171 002, 4 जुलाई, 2005

संख्या एफ0डी0एस0-ए(3)-11/91-I.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, अधिसूचना संख्या-एफ0डी0एस0-ए(3)-11/91 दिनांक 19-10-1995 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, अधीक्षक ग्रेड-I (वर्ग-I, राजपत्रित) के भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 1995 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, अधीक्षक ग्रेड-I (वर्ग-I, राजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति (द्वितीय संशोधन) नियम, 2005 है।

(ii) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किये जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

1254-राजपत्र/2005-18-7-2005—1,463.

मूल्य : एक रुपया।

2. उपाबन्ध "क" का संशोधन.—हिमाचल प्रदेश खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अधीक्षक ग्रेड-I (वर्ग-I, राजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 1995 के उपाबन्ध "क" में,—

(क) स्तम्भ संख्या-5 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

"अचयन"

(ख) स्तम्भ संख्या 11 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

"अधीक्षक ग्रेड-II और निजी सहायकों में से जिनका 3 वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा को सम्मिलित करके उक्त नियमित सेवाकाल हो, प्रोन्नति द्वारा। प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए, पात्र कर्मचारियों की उनके सेवाकाल के आधार पर, उनकी काडर-वार पारस्परिक वरीयता को छेड़े बिना, वरिष्ठता सूची तैयार की जाएगी।

(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में, पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरण पद में की गई निरन्तर तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिये इन नियमों में यथाविहित, सेवाकाल के लिये इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी कि सम्भरण प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी :

परन्तु उन सभी मामलों में जिन में कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरण पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई सेवा सहित जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किये जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने-अपने प्रवर्ग/पद/काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जायेंगे :

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाता है, कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, इनमें से जो भी कम हो, होगी :

परन्तु यह और भी कि, जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे।

स्पष्टीकरण.—अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिये अपात्र नहीं समझा जाएगा/समझे जाएंगे यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसे डिमोबिलाईजड आर्मड फोर्सिस परसोनल (रिजर्वेशन ऑफ वेकैन्सीज इन हिमाचल स्टेट नान-टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज, 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अधीन भर्ती किया गया हो तथा इसके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स-सर्विसमैन (रिजर्वेशन आफ वेकैन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज, 1985 के नियम 3 के उपबन्धों के अधीन भर्ती किया गया हो व इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों।

(2) इस प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरण पद पर की गई तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जायेगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति भर्ती एवं प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात् और भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी :

परन्तु उपर्युक्त यथानिर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थाईकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

(ग) स्तम्भ संख्या-12 के सामने विद्यमान उपावन्धों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात:—

"जैसाकि समय-समय पर सरकार द्वारा गठित की जाए"।

आदेश द्वारा,

बी0 एस0 चौहान,
प्रधान सचिव।

[Authoritative English text of this department notification No. FDS-A (3)-11/91-I, dated 4-7-2005 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

FOOD, CIVIL SUPPLIES & CONSUMER AFFAIRS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 4th July, 2005

No. FDS-A(3)-11/91-I.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh, Food and Supplies Department Superintendent Grade-I (Class-I, Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 1995 notified *vide* notification No. FDS-A(3)-11/91 dated 19th October, 1995, namely:—

1. *Short title and commencement.*—(*i*) These rules may be called the Himachal Pradesh, Food, Civil Supplies and Consumer Affairs Department, Superintendent Grade-I (Class-I, Gazetted) Recruitment and Promotion (Second Amendment) Rules, 2005.

(*ii*) These Rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. *Amendment in Annexure-'A'*.—In Annexure 'A' to the Himachal Pradesh Food and Supplies Department, Superintendent Grade-I (Class-I, Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 1995;—

(*a*) for the existing provisions against Column No. 5, the following shall be substituted, namely :—
"Non-Selection"

(*b*) For the existing provisions against column No. 11 the following shall be substituted, namely :—

"By promotion from amongst the Superintendent Grade-II and Personal Assistants with three years regular service or regular combined with continuous *ad hoc* service in the grade.

For the purpose of promotion, a combined seniority list of eligible officials on the basis of length of service without disturbing their cadre-wise inter-se seniority shall be prescribed.

(1) [redacted] all cases of promotion, the continuous *adhoc* service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition that the *ad hoc* appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R and P Rules:

Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered *ad hoc* basis followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provision referred to above, all persons senior to him in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration:

Provided further that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the Recruitment and Promotion Rules for the post, whichever is less:

Provided further that where a person becomes ineligible to considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person (s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

Explanation.—The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be Ex-serviceman recruited under the provisions of rule 3 of the Demobilised Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of Rule 3 of Ex-Servicemen (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder.

(2) Similarly, in all cases of confirmation continuous *ad hoc* service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment/promotion against such post shall be taken into account towards the length of service, if the *ad hoc* appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the R & P Rules:

Provided that *inter se* seniority as a result of confirmation after taking into account *ad hoc* service rendered as referred to above shall remain unchanged."

(*c*) For the existing provisions against column No. 12, the following shall be substituted, namely:—

"As may be constituted by the Government from time to time."

By order,

B. S. CHAUHAN,
Principal Secretary.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित